पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर (राज)
वेबसाईट: www.shekhauni.ac.in ई-मेल: reg.shekhauni@gmail.com

क्रमांक: 16394 दिनांक: 27.02.2023

ADVERTISEMENT NO. 01/2023

Vacancies For Various Non-Teaching Posts

Online applications are invited for various vacant Non-teaching posts of Controller of Examination-01 Post, Deputy Registrar-01 Post, Assistant Registrar-02 Posts and Lower Division Clerk-29 Posts in the University. Online application form, Qualifications and other details will be available on the University Website www.shekhauni.ac.in from 01.03.2023 . Last date for online submission of application forms is march 24, 2023 till 12 Midnight.

Registrar

Scanned with OKEN Scanner

पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर

वेबसाईट: www.shekhauni.ac.in ई–मेल: reg.shekhauni@gmail.com दूरभाष नं.: 01572-232411

क्रमांक: 16393 दिनांक : 27.02.2023

ADVERTISEMENT NO. 01/2023

Applications are invited for recruitment to the following posts :-

Sl. No.	Name of Post	No. of Posts
1.	Controller of Examinations	01
2.	Deputy Registrar	01
3.	Assistant Registrar	02
4.	Lower Division Clerk	29

1. Online Application form, Application fee, qualification and eligibility criteria as prescribed by the UGC/University and Detailed advertisement, Number of reserved posts, other terms & conditions etc. are available on the University website www.shekhauni.ac.in .
2. Last date for submission of online application is March 24, 2023 till 12 Midnight.
3. The sealed envelope containing the print-out of duly filled in online application form along with all necessary and self-attested supporting documents must reach the office of **The Registrar, Pandit Deendayal Upadhyaya Shekhawati University, Sikar latest by 31.03.2023 upto 5:00 PM**, Forms received after 31.03.2023 shall not be entertained under any circumstances, University shall not be responsible for any postal delay.
4. Candidates are required to visit the University website regularly for informations regarding these posts, if any shall be notified thereon.

Registrar

Qualifications and Selection Criteria for appointment of Non-Teaching Staff (Officers) :-

The direct recruitment to the posts of Controller of Examinations, Deputy Registrar and Assistant Registrar in the University shall be on the basis of merit through an all-India advertisement, followed by a duly-constituted Selection Committee. The composition of such committee shall be as specified in The Rajasthan Universities Teachers and Officers selection for Appointment Act No. 18 of 1974 as amended from time to time.

The minimum qualification required for the post of Controller of Examinations, Deputy Registrar and Assistant Registrar, shall be as specified by the University of Rajasthan under prevailing ordinances/Rules, which are applicable in this University, are as under :-

1.	Ord.359 (D) <u>Controller of Examinations :</u> Pay Band of Rs. 15600-39100 with Grade Pay of Rs. 6800/- or as amended from time to time. 1. Essential Qualifications : (i) Master's Degree in any subject or Post Graduate Diploma in Management with at least 55% of marks or its equivalent grade of B in the UGC seven-point scale from a recognized University/Institution (5% relaxation in marks for SC/ST/Differently-abled category/Regular employees of the Pandit Deendayal Upadhyaya Shekhawati University, Sikar). (ii) At least 10 years administrative experience in supervisory or equivalent cadre in group – B post in a Government Department/University/Educational or Research Institution/Teaching and/or Research Experience on a substantive post along with proven administrative capabilities out of which 5 years experience shall be in examination related work.

Or

6 years experience on the post of Dy. Registrar in Central/State University.

Or

10 Years experience on the post of Assistant Registrar in a Central/State University.

Desirable :

(i) MBA or CA/ICWA or MCA or LL B or Ph.D/ B. Tech
(ii) I.T. & Soft skills
(iii) The incumbent should have experience and knowledge of examination work of a University System.

2. Mode of Selection
   The selection will be based on the performance of the candidate in interview.

Note :

(1) Experience earned in Contractual, adhoc or Guest faculty basis will not be counted. Experience will be counted if the candidate is duly selected by statutory selection committee and approved by the University concerned and paid UGC pay scale on regular basis.
(2) The incumbent should possess good communication, logical reasoning, analytical skills, soft skills and aptitude for drafting/noting in English & Hindi, Should be able to coordinate/liaise with other divisions/departments and participate in discussions with senior functionaries and academicians.
(3) The incumbent is expected to handle independently one or more functions related to Educational administration/Examinations.

2.	Ord.359 (E) <u>Dy. Registrar</u> Pay Band of Rs. 15600-39100 with Grade Pay of Rs.6600/- or as amended from time to time. 1. Essential Qualifications (i) Master's Degree in any subject or Post Graduate Diploma in Management with at least 55% of marks or its equivalent grade of B in the UGC seven-point scale from a recognized University/Institution (5% relaxation in marks for SC/ST/Differently-abled category/Regular employees of the Pandit Deendayal Upadhyaya Shekhawati University, Sikar). (ii) At least 6 Years. Administrative experience in supervisory or equivalent cadre in Group B post in a government department/University/Educational or Research Institution/Teaching and/or Research Experience on a substantive post along with proven administrative capabilities Or Five years experience on the post of Assistant Registrar in Central/State University. Desirable (i) MBA or CA/CWA or MCA or LL.B or Ph.D or B.Tech (ii) I. T. & Soft skills 2. Mode of Selection

	(a) The selection will be based on interview only. (b) In case the number of applicants are very large than the number of posts advertised, then written test will be conducted for short-listing the candidates for interview. (c) The number of candidates called for interview shall be 10 times of the number of posts to be filled-in in the category in case short-listing. (d) The scheme of the examination for written test will be prescribed by the University from time to time with the approval of the BOM in this regard. Note : 1. Experience earned in Contractual, adhoc or Guest faculty basis will not be counted. Experience will be counted if the candidate is duly selected by statutory selection committee and approved by the University concerned and paid UGC pay scale on regular basis. 2. The incumbent should possess good communication, logical reasoning, mathematical, analytical skills, soft skills and aptitude for liaise with other divisions/ departments and participate in discussions with senior functionaries and academicians. 3. The incumbent is expected to handle independently one or more functions related to Educational Administration/ Examinations/ General Administration/ Purchase/ Establishment/ Accounts & Finance/ Project & Planning/ Research/College Administration/ Management/ HR/ Legal Paper Scheme for Dy. Registrars Written Test Phase -I Paper – I 2 Hrs. (i) Verbal and Communication Ability in English 50 Questions - 150 Marks (ii) Verbal and Communication Ability in Hindi 50 Questions – 150 Marks

	Paper – II 3 Hrs. (i) Mathematical Ability 50 Questions 150 Marks (ii) General Awareness 50 Questions 150 Marks (iii) Logical reasoning and data Interpretation 50 Questions 150 Marks Phase – II Interview 150 Marks Note :- (i) Each MCQ question shall contain four answer options and the candidate shall be required to select one option as his/her correct answer and mark in the OMR answer sheet by darkening the respective circle with blue/black ball point pen Darkening multiple marks in the OMR sheet will be treated as wrong answer Each correct answer will be awarded three marks and one mark will be deducted for wrong or multiple answers. (ii) In case of equal marks in the written test the one who has secured higher percentage of marks in Post Graduate examination will be considered higher in merit . In case of equal marks and equal percentage in the Post Graduate examination the one born earlier will be considered higher in merit. (iii) Wherever Interview is involved, the candidate shortlisted in Unreserved Category for the Interview will only be considered for the post in Unreserved Category, however for short-listing for Unreserved Category all candidates will be considered.

3.		Ord.359 (F) <u>Assistant Registrar</u> Pay Band of Rs. 15600-39100 with Grade Pay of Rs. 5400/- or as amended from time to time. 1. Essential Qualifications (i) Master's Degree in any subject or Post Graduate Diploma in Management with at least 55% of marks or its equivalent grade of B in the UGC seven-point scale from a recognized University/Institution. (5% relaxation in marks for SC/ST/Differently-abled category/Regular employees of the Pandit Deendayal Upadhyaya Shekhawati University, Sikar). Desirable (i) MBA or CA/ICWA or MCA or LL.B or Ph.D or B.Tech (ii) I.T. & Soft skills. (iii) At least three years administrative experience in supervisory or equivalent cadre in a Group B post in a government department/ University/ Educational or Research Institution/ Teaching and/ Or research Experience on a substantive post along with proven administrative capabilities . Or 3 Years experience as Section Officer in a Central/ State University. 2. Mode of Selection (a) The selection will be based on Interview only . (b) In case the number of applicants are very large than the number of posts advertised, then written test will be conducted for short-listing the candidates for interview. (c) The number of candidates called for interview shall be 10 times of the number of posts to be filled-in in the category in case of short-listing. (d) The scheme of the examination for written test will be

	prescribed by the University from time to time with the approval of the Syndicate in the regard. **Age limit :** Not exceeding 40 Years (45 years in case of SC/ST/ Differently-able category/women candidates). Age will be calculated as on 1st July of year of advertisement. Note. 1. Experience earned in Contractual, adhoc or Guest faculty basis will not be counted. Experience will be counted if the candidate is duly selected by statutory selection committee and approved by the University concerned and paid UGC pay scale on regular basis. 2. The incumbent should possess good communication, logical reasoning, mathematical, analytical skills, soft skills and aptitude for drafting/noting in English & Hindi, should be able to coordinate, liaise with other divisions/ departments and participate in discussions with senior functionaries and academicians. 3. The incumbent is expected to handle independently one or more functions related to Educational Administration/ Examinations/ General Administration/ Purchase / Establishment/ Accounts & Finance/ Project & Planning/ Research/ College Administration/ Management/ HR / Legal. Paper Scheme for Assistant Registrars Written Test Phase – I Paper – I 2 Hrs. (i) Verbal and Communication Ability in English 50 Questions – 150 Marks (ii) Verbal and Communication Ability in Hindi 50 Questions – 150 Marks

Paper – II

3 Hrs.

(i) Mathematical Ability 50 Questions – 150 Marks

(ii) General Awareness 50 Questions – 150 Marks

(iii) Logical reasoning and data data Interpretation 50 Questions – 150 Marks

Phase- II

Interview

150 Marks

Note :-

(iv) Each MCQ question shall contain four answer options and the candidate shall be required to select one option as his/her correct answer and mark in the OMR answer sheet by darkening the respective circle with blue/black ball point pen Darkening multiple marks in the OMR sheet will be treated as wrong answer Each correct answer will be awarded three marks and one mark will be deducted for wrong or multiple answers.

(v) In case of equal marks in the written test the one who has secured higher percentage of marks in Post Graduate examination will be considered higher in merit . In case of equal marks and equal percentage in the Post Graduate examination the one born earlier will be considered higher in merit.

(vi) Wherever Interview is involved, the candidate shortlisted in Unreserved Category for the Interview will only be considered for the post in Unreserved Category, however for short-listing for Unreserved Category all candidates will be considered.

OTHER INFORMATIONS

1. The candidate shall be a citizen of India.
2. All the provisions of Rajasthan Government regarding reservation will be effective in Pandit Deendayal Upadhyaya Shekhawati University, Sikar.
3. The University reserves the right to increase or decrease the number of posts till the last minute.
4. SC/ST/Backward Class/More Backward Class and Economically Weaker Section candidates from outside the state of Rajasthan will not be eligible for reservation as per the reservation policy of Rajasthan University. Therefore, they will be considered under the unreserved category only.
5. The appointments for the above posts will be as probationer trainees and during this period they will be paid consolidated salary as per the rules of the State Government. After successful completion of probationer trainee period, the minimum salary of the regular pay scale will be payable. The period of probationer trainee will not be counted for annual increment.
6. The benefit of pay protection may be granted to the personnel already employed as per the rules of the State Government.
7. The rules regarding the number of surviving children and the conduct of the employees in the State Government will also be applicable to the above appointment.
8. Married female candidate will have to submit the caste (SC/ST/Backward Class) certificate issued on the basis of her father's name, place of residence and income to get the benefit of reserved category. Caste certificate issued on the basis of husband's name, place of residence and income will not be valid.
9. For selection against the Unreserved category posts, it will be necessary for the reserved category candidates to be eligible as Unreserved category candidates.
10. Applicant applying for the post(s) of reserved category, shall submit valid certificate of their category issued by the Competent Authority. If

the relevant certificates for respective reserved categories are not enclosed with the application, the application may be rejected and no appeal against its rejection will be entertained.

11. The age of superannuation shall be 60 years.
12. Direct Recruits on the post of Controller of Examinations, Deputy Registrar, Assistant Registrar and other Officers shall be appointed as Probationer Trainee for 2 years and allowed fixed remuneration as per State Governement Rules and Guidelines.
13. Other guidelines issued by Government of Rajasthan regarding University service from time to time shall be applicable after approval of the Vice Chancellor.

Note :- The University reserves the right to short list applicants/candidates on the basis of written examination or in any other manner to shortlist for final interview before the Selection Committee as may be considered appropriate and no reason for rejection shall be communicated.

(विज्ञापन सं. 01/2023)

अशैक्षणिक वर्ग के अधिकारियों के रिक्त पदों का श्रेणीवार विवरण निम्नानुसार है :–

क्र. स.	पदनाम	रिक्त पद	श्रेणी	पे–लेवल, वेतन श्रंखला एवं समेकित वेतन
1.	परीक्षा नियंत्रक	01	अनारक्षित	L-17, 15600–39100 (GP-6800) Rs. 49700/-
2.	उप कुलसचिव	01	अनारक्षित	L-16, 15600–39100 (GP-6600) Rs. 47200/-
3.	सहायक कुलसचिव	02	अनारक्षित	L-14, 15600–39100 (GP-5400) Rs. 39300/-

Note :-

1. One post in each will be reserved for PWD benchmark disabilities under clause (a) Blindness and Low Vision as per Government of Rajasthan Rules in the 1st Block if qualified candidates are available in the category.
2. Detailed qualifications and other information are available on the University website www.shekhauni.ac.in .

आवेदको के लिए महत्वपूर्ण निर्देश :–

1. अभ्यर्थी भारतीय नागरिक हो।
2. प्रत्येक पद के लिए पृथक–पृथक आवेदन–पत्र भरा जाएगा एवं शुल्क भी प्रत्येक आवेदित पद के लिए अलग से देय होगा।
3. ऑनलाइन आवेदन–पत्र भरने की अन्तिम तिथि दिनांक मार्च 24, 2023 समय रात्रि 12 बजे तक है, जिनकी मुद्रित (printed) हार्डकॉपी समस्त महत्वपूर्ण दस्तावेजों, यथा– शैक्षणिक योग्यता, अनुभव आदि की समुचित पठनीय स्वप्रमाणित फोटोकॉपी सहित दिनांक 31.03.2023 सांय 5 बजे तक विश्वविद्यालय में प्राप्त हो जानी चाहिए।
4. राजस्थान राज्य से बाहर के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग व विशेष योग्यजन अभ्यर्थी, राजस्थान सरकार की आरक्षण नीति के नियमानुसार आरक्षण के पात्र नहीं होंगे अतः उन्हें अनारक्षित वर्ग के अन्तर्गत ही माना जावेगा।
5. **आवेदन शुल्क :–**
   आवेदक द्वारा आवेदन शुल्क की अदायगी ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया में निर्दिष्ट ऑनलाइन पेमेन्ट गेटवे के माध्यम से निम्नानुसार की जाएगी :–

क्र. सं.	प्रवर्ग	आवेदन शुल्क (रूपए)
1.	सामान्य संवर्ग व क्रीमीलेयर श्रेणी के बी.सी./एस.बी.सी. अभ्यर्थी	1000/–
2.	राजस्थान के एस.सी./एस.टी./बी.सी. नॉन–क्रीमीलेयर/एस.बी.सी. नॉन–क्रीमीलेयर अभ्यर्थी	500/–
3.	विशेष योग्यजन (शारीरिक विकलांग/दिव्यांग) अभ्यर्थी	100/–

नोटः– राजस्थान राज्य से अन्य भिन्न राज्यों के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को सामान्य वर्ग का आवेदक माना जायेगा। अतः ऐसे आवेदकों को सामान्य अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित आवेदन शुल्क देना होगा।

6. आवेदक की न्यूनतम आयु आवेदन–पत्र की अंतिम तिथि को 21 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए।
7. अशैक्षणिक पदों पर भर्ती का प्रथम चरण मात्र छँटनी (short-listing) के लिए है, इन अंकों की गणना चयन में नहीं की जाएगी।

8. इस विज्ञप्ति के प्रसारण एवं चयन प्रक्रिया के समापन तक रिक्तियों में विधिक् तौर पर कोई अन्तर आने की स्थिति में रिक्त पदों की गणना चयन प्रक्रिया के समापन के समय की जायेगी।
9. विज्ञापित पदों पर भर्ती के लिए छँटनी (short-listing) हेतु मापदण्ड एवं प्रक्रिया का निर्धारण किये जाने तथा बिना कारण निर्दिष्ट किए विज्ञापित पद पर भर्ती नहीं करने का अधिकार विश्वविद्यालय में निहित होगा।
10. विज्ञापित पदों हेतु चयन प्रक्रिया में हुई चूक अथवा त्रुटि के ज्ञात होने की स्थिति में, किसी भी स्तर (stage) पर, यहाँ तक कि नियुक्ति–पत्र जारी होने के पश्चात भी अभ्यर्थी को प्रदत्त/जारी किसी भी संचारण अथवा पत्र–व्यवहार को संशोधित करनें, वापस लेने अथवा निरस्त करने का अधिकार विश्वविद्यालय में निहित होगा।
11. डाक में विलम्ब तथा परीक्षा/साक्षात्कार के आयोजन, परिणाम प्रकाशन एवं साक्षात्कार हेतु आमन्त्रित नहीं करने के कारणों आदि के सम्बन्ध में किसी प्रकार के पत्र–व्यवहार पर विश्वविद्यालय द्वारा विचार नहीं किया जाएगा। सम्बन्धित जानकारी हेतु आवेदक नियमित रूप से विश्वविद्यालय वेबसाइट का निरीक्षण करें।
12. उक्त पदों हेतु नियुक्ति परिवीक्षाधीन प्रशिक्षु के रूप में होगी एवं इस अवधि में उन्हें राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दरों के अनुरूप समेकित वेतन देय होगा। तथापि विश्वविद्यालय नियमानुसार वेतन संरक्षण (Pay Protection) का लाभ देय होगा।
13. परिवीक्षा अवधि में राज्य सरकार के नियमानुसार समेकित वेतन देय होगा।
14. सफलतापूर्वक परिवीक्षा अवधि पूर्ण होने के उपरान्त कार्मिक को नियमित वेतन श्रृंखला में वेतन निर्धारण कर नियमानुसार वेतन भुगतान किया जाएगा। वार्षिक वेतनवृद्धि हेतु उक्त परिवीक्षाधीन (प्रशिक्षु) अवधि की गणना नहीं की जाएगी।
15. केवल राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग/ विशेष योग्यजन अभ्यर्थी, आवेदन–पत्र के सम्बन्धित स्थान पर अपनी श्रेणी अंकित करें एवं सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी वैध प्रमाण–पत्र की स्वप्रमाणित प्रति आवेदन पत्र की प्रति हार्डकॉपी के साथ संलग्न करें। आवेदक को आवेदन पत्र भरने की अन्तिम तिथि को सबद्ध वर्ग में होना चाहिए।
16. आवेदन करने मात्र से आवेदक को सम्बन्धित पद हेतु संवीक्षा परीक्षा अथवा साक्षात्कार हेतु आमन्त्रित करने का पात्र नहीं माना जाएगा।
17. विश्वविद्यालय के नियमानुसार जीवित सन्तानों की संख्या की बाध्यता एवं कार्मिकों के आचरण के सम्बन्ध में राज्य सरकार के नियम/आदेश लागू होंगे।
18. राजस्थान सरकार के आरक्षण सम्बन्धी प्रावधान प्रभावी होंगे।
19. उक्त नियुक्तियों पर विश्वविद्यालय/राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी नियम एवं प्रावधान लागू होंगे।
20. पूर्व से सेवा में नियोजित अभ्यर्थी उचित माध्यम से आवेदन–पत्र प्रस्तुत करें तथा साक्षात्कार के समय अपने नियोक्ता का अनापति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करें।
21. अनुभव प्रमाण–पत्र नियोक्ता द्वारा समुचित प्रारूप में संस्था के लेटर हैड पर जारी किया हुआ हो, जिसमें कार्य/सेवा की अवधि, कार्य की प्रकृति, पदनाम, वेतनमान (जी

पी सहित) आदि का स्पष्ट उल्लेख हो। इसके अभाव में अनुभव प्रमाण पत्र स्वीकार्य नहीं होगा।

22. आवेदन पत्र विश्वविद्यालय में प्रेषित करते समय लिफाफे पर विज्ञापन संख्या एवं आवेदित पद का नाम अंकित करें।

23. स्क्रीनिंग टेस्ट/लिखित परीक्षा/मोखिक परीक्षा/साक्षात्कार आदि के लिए उपस्थित होने पर कोई यात्रा भत्ता देय नहीं है।

विज्ञापन संख्या 01/2023

कनिष्ठ लिपिक के रिक्त पदों का श्रेणीवार विवरण निम्नानुसार है :–

पदों की कुल संख्या	अनारक्षित पद					अनुसूचित जाति वर्ग				अनुसूचित जनजाति वर्ग				पिछड़ा वर्ग				आर्थिक पिछड़ा वर्ग				अति पिछड़ा वर्ग			
	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	भूतपूर्व सैनिक	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता
29	09	02	01	–	01	03	01	–	–	03	–	–	–	05	01	–	–	02	–	–	–	01	–	–	–

One post in each will be reserved for PWD benchmark disabilities under clause (a) Blindness and Low Vision as per Government of Rajasthan Rules in the 1st Block if qualified candidates are available in the category.

नोट :– ऑनलाईन आवेदन–पत्र में कोई सूचना गलत या अपूर्ण भरने पर अभ्यर्थी का आवेदन एवं उसकी अभ्यार्थिता किसी भी स्तर पर रद्द कर दी जावेगी, जिसकी जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी। ध्यान रहे कि गलत सूचना या अपूर्ण आवेदन में सुधार हेतु किसी भी प्रकार का पत्र व्यवहार स्वीकार नहीं किया जाएगा। समस्त अभ्यार्थियों को परीक्षा की अनुमति निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करने की शर्त के अध्यधीन पूर्णतः अनन्तिम (Provisional) होगी।

1. **कनिष्ठ लिपिक पद हेतु शैक्षणिक योग्यता/अर्हता :–**

(अ) माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान से (10+2) पद्धति में उच्च माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण अथवा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान द्वारा मान्य बोर्ड से समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण

"तथा"

(ब) भारत सरकार के इलेक्ट्रोनिकी विभाग के डी0ओ0ई0ए0सी0सी0 द्वारा आयोजित 'O' या उच्च स्तर का सर्टीफिकेट कोर्स उत्तीर्ण।

अथवा

सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से "राष्ट्रीय राज्य वोकेशनल ट्रेनिंग स्कीम" के अन्तर्गत "कंप्यूटर ऑपरेटर व प्रोग्रामिंग सहायक (COPA)" या "डेटा प्रीपरेशन व कंप्यूटर सॉफ्टवेयर सर्टीफिकेट" परीक्षा उत्तीर्ण

अथवा

भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से कंप्यूटर विज्ञान या कंप्यूटर अनुप्रयोग में डिप्लोमा या सर्टीफिकेट

अथवा

राजस्थान नॉलेज कॉर्पोरेशन लि० (RKCL) के नियंत्रणाधीन वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा द्वारा आयोजित राजस्थान सूचना प्रौद्योगिकी में प्रमाण पत्र कोर्स (RS-CIT)

उक्त पद हेतु प्रार्थी को अपेक्षित शैक्षणिक योग्यता/अर्हता ऑनलाईन आवेदन–पत्र की अंतिम दिनांक 24.03.2023 तक प्राप्त होना आवश्यक है।

2. **कनिष्ठ लिपिक पद हेतु चयन प्रक्रिया :–**

(1) कनिष्ठ लिपिक पद पर चयन लिखित परीक्षा (फेज–I) एवं कंप्यूटर टाईपिंग टेस्ट (फेज–II) के आधार पर ही किया जायेगा।

(2) लिखित परीक्षा में समान अंक प्राप्त होने पर (10+2) उच्च माध्यमिक परीक्षा में अधिक अंक प्रतिशत प्राप्तकर्ता को वरीयता दी जाएगी। लिखित परीक्षा एवं (10+2) उच्च माध्यमिक परीक्षा में समान अंक होने पर अधिक आयु वाले परीक्षार्थी को वरीयता दी जाएगी।

(3) चयन हेतु परीक्षा निम्न प्रकार सें आयोजित की जाएगी :–

Phase-I

(अ) प्रश्न पत्र – प्रथम (वस्तुनिष्ठ प्रश्न) – पूर्णांक 300 अंक
सामान्य ज्ञान – 33 प्रश्न, सामान्य विज्ञान – 33 प्रश्न, गणित – 34 प्रश्न (कुल 100 प्रश्न)
समय – 3 घंटे।

(ब) प्रश्न पत्र – द्वितीय (वस्तुनिष्ठ प्रश्न) – पूर्णांक 300 अंक
सामान्य हिन्दी – 50 प्रश्न व सामान्य अंग्रेजी – 50 प्रश्न (कुल 100 प्रश्न)
समय – 3 घंटे।

नोट :–

(1) प्रश्न पत्रों का स्तर राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के 10+2 पद्धति के माध्यमिक परीक्षा के समतुल्य होगा।

(2) कनिष्ठ लिपिक पद हेतु प्रत्येक प्रश्न पत्र की लिखित परीक्षा 300 अंक की बहुवैकल्पिक प्रश्न–पत्र में होगी, जिसमें 3–3 अंक के 100 प्रश्न पूछे जाएंगे तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए प्रश्न अंक का एक (1) अंक काटा जाएगा।

(3) कनिष्ठ लिपिक पद हेतु विज्ञापित रिक्त पदों की संख्या के **तीन गुने** के अध्यधीन लिखित परीक्षा में न्यूनतम 40% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों में से वरीयता क्रम में उपलब्ध अभ्यर्थी कम्प्यूटर टाइप टेस्ट हेतु पात्र होंगे। तथापि वे समस्त अभ्यर्थी भी कम्प्यूटर टाइप टेस्ट के लिए पात्र होंगे जो लिखित परीक्षा की निर्धारित वरीयता में अंतिम अभ्यर्थी के समान अंक प्राप्त करते हैं। वरीयता सूची प्रत्येक वर्ग की पृथक–पृथक तैयार की जाएगी।

Phase-II

हिन्दी एवं अंग्रेजी में टाइप टेस्ट 10–10 मिनट का कुल 200 अंक (100 हिन्दी + 100 अंग्रेजी) का होगा। कम्प्यूटर टाइप टेस्ट में हिन्दी एवं अंग्रेजी टाईप टेस्ट में उत्तीर्ण होने के लिए दोनों में

पृथक–पृथक **न्यूनतम 36 प्रतिशत उत्तीर्णांक** आवश्यक हैं। विशेष योग्यजन अभ्यर्थियों को उनके द्वारा Phase-I में प्राप्त अंकों का औसत प्रदान किया जाएगा।
कनिष्ठ लिपिक पद हेतु लिखित परीक्षा एवं कम्प्यूटर टाइप टेस्ट में उत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थियों में से कुल पूर्णांक 800 में से प्राप्तांकों के आधार पर प्रत्येक वर्ग की वरीयता सूची (Merit List) पृथक–पृथक तैयार की जाएगी। प्रत्येक वर्ग में उपलब्ध रिक्तियों के अनुरूप सम्बन्धित श्रेणी के उन्हीं अभ्यर्थियों को वरीयता क्रमानुसार नियुक्ति प्रदान करने हेतु चयन समिति द्वारा अनुशंसा की जाएगी, जो अर्हता शर्तों के अनुसार अंतिम रूप से पात्र पाये जाएंगे।

3. **रनिंग पे–बैण्ड** :– रूपये 5200–20200 ग्रेड–पे रू. 2400/–
4. **कनिष्ठ लिपिक पद हेतु आयु** :–

आवेदक आवेदन की अंतिम दिनांक 24.03.2023 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो और 40 वर्ष से अधिक का नहीं हुआ हो। अधिकतम आयु सीमा में राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशानुसार निम्न प्रकार छूट प्रदत्त होगी :–

1. राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के पुरूष अभ्यर्थियों के मामले में 5 वर्ष की छूट होगी।
2. राजस्थान की अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के मामले में 10 वर्ष की छूट होगी।
3. सामान्य वर्ग की महिला आवेदकों के मामलों में 5 वर्ष की छूट होगी।
4. भूतपूर्व सैनिकों के लिए ऊपरी आयु सीमा 50 वर्ष होगी परन्तु सैन्य क्रास/वीर चक्र या कोई अन्य उच्च विशेष योग्यता धारकों की दशा में उच्च विशेष योग्यता धारकों की दशा में उच्च आयु सीमा 2 वर्ष तक शिथिल करने योग्य होगी।
5. निःशक्तजन श्रेणी के सामान्य अभ्यर्थियों को 10 वर्ष, पिछड़ा वर्ग अभ्यर्थियों को 13 वर्ष एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के अभ्यर्थियों को 15 वर्ष की छूट देय होगी।

   नोट :– (1) उपरोक्त वर्णित आयु सीमा में छूट के प्रावधान असंचयी (Non-Cumulative) हैं, अर्थात् अभ्यर्थियों को उपरोक्त वर्णित किसी भी एक प्रावधान का अधिकतम आयु सीमा में छूट का लाभ दिया जायेगा। एक से अधिक प्रावधानों को जोड़कर छूट का लाभ नहीं दिया जायेगा।
   (2) उक्त प्रावधान में दिये गए अधिकतम आयु सीमा में देय छूट से संबंधी प्रावधानों में तत्संबंधी वर्गों के वर्गीकरण की परिवर्तनीय स्थिति में नियमानुसार छूट देय होगी। यदि किसी वर्ग में पद आरक्षित नहीं हुए हो तो उस वर्ग के अभ्यर्थियों को उक्त प्रावधान के अन्तर्गत अधिकतम आयु सीमा में छूट देय नहीं होगी।

5. नियुक्ति के लिए अयोग्यता :–

1. किसी भी ऐसे पुरूष उम्मीदवार को जिसकी एक से अधिक जीवित पत्नी हो नियुक्ति के लिए पात्र नहीं माना जाएगा। किसी अभ्यर्थी को इस नियम की कार्यवाही से तभी छूट दी जा सकती है यदि विश्वविद्यालय प्रबंधन संतुष्ट हो कि ऐसा करने के लिए विशेष आधार है।

2. किसी भी ऐसी महिला उम्मीदवार को जिसने उस पुरूष से विवाह किया है जिसके पहले से जीवित पत्नी है, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं माना जावेगा। किसी महिला अभ्यर्थी को इस नियम की कार्यवाही से तभी छूट दी जा सकती है यदि विश्वविद्यालय प्रबन्धन संतुष्ट हो कि ऐसा करने के लिए विशेष आधार है।
3. ऐसा अभ्यर्थी जिसके 01.06.2002 को या उसके पश्चात् दो से अधिक जीवित संतान हो, सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।
   परन्तु दो से अधिक संतान वाले किसी भी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए तब तक निरर्हित नहीं समझा जाएगा, जब तक कि 1 जून, 2002 को विद्यमान उसके बच्चों की संख्या में बढ़ोत्तरी नहीं होती।
   परन्तु यह और कि जहाँ किसी अभ्यर्थी के पूर्वत्तर प्रसव से केवल एक बच्चा है किन्तु किसी एक पश्चातवर्ती प्रसव से एक से अधिक बच्चे पैदा होते हैं वहाँ बच्चों की कुल संख्या की गणना करते समय इस प्रकार पैदा हुए बच्चों को एक इकाई समझा जायेगा।
   परन्तु यह भी कि किसी अभ्यर्थी की सन्तानों की कुल संख्या की गणना करते समय ऐसी सन्तान की, जो पूर्वत्तर प्रसव से पैदा हुई हो और निःशक्त हो, गणना नहीं की जावेगी।
4. किसी भी विवाहित अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए पात्र नहीं माना जावेगा यदि उसने अपने विवाह के समय दहेज स्वीकार किया होगा।

6. परीक्षा का माह एवं दिनांक :–

परीक्षा तिथि की सूचना शीघ्र ही समाचार पत्रों में प्रकाशित कर दी जाएगी जिसे विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.shekhauni.ac.in पर भी देखा जा सकता है। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे नियमित रूप से विश्वविद्यालय की वेबसाइट का अवलोकन करते रहें।

7. परीक्षा शुल्क :–

1. सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अन्य आवेदकों हेतु 1000/– रू.।
2. समस्त निःशक्तजन तथा राजस्थान की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आवेदकों हेतु 500/– रू.।

8. अनापत्ति प्रमाण–पत्र के सम्बन्ध में :–

पूर्व से सेवा में नियोजित अभ्यर्थी उचित माध्यम से आवेदन–पत्र प्रस्तुत करें, तथापि आवेदन की अग्रिम प्रति प्रस्तुत कर सकते हैं।

9. समस्त अभ्यर्थियों हेतु विशेष सूचना :–

1. भूतपूर्व सैनिक व निःशक्तजन के लिए दर्शाये गये आरक्षित पदों का आरक्षण क्षैतिज (Horizontal) रूप से है।

2. भूतपूर्व सैनिक :–

(1) भूतपूर्व सैनिकों के आरक्षित पदों के विरूद्ध आवेदन करने वाले अभ्यर्थी को अवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम दिनांक तक नियमानुसार सेना से सेवानिवृत हो जाना आवश्यक है, अन्यथा उसे आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा।

(2) भूतपूर्व सैनिकों के आश्रितों को भूतपूर्व सैनिकों के आरक्षित पदों का लाभ देय नहीं होगा।

3. महिलाओं हेतु आरक्षित पद का आरक्षण क्षैतिज (Horizontal) रूप से प्रवर्गानुसार (Category Wise) है। महिला अभ्यर्थियों का आरक्ष्ज्ञण उस सम्बन्धित प्रवर्ग में, जिसकी वे महिला अभ्यर्थी हैं, अनुपातिक रूप से समायोजित किया जायेगा।

A. स्पष्टीकरण : किसी वर्ग (सामान्य वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ी जाति) की पात्र एवं उपयुक्त महिला अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर उस पद को उस वर्ग के पुरूष अभ्यर्थियों से भरा जाएगा। पिछड़ी जाति की विवाहित महिला आवेदक को अपने पिता के नाम, निवास स्थान एवं आय के आधार पर जारी नॉन क्रीमीलेयर का नवीनतम प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा, तभी आरक्षण का लाभ देय होगा अन्यथा नहीं। पति के नाम व आय के आधार पर जारी प्रमाण–पत्र मान्य नहीं होगा।

4. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षित पद केवल राजस्थान राज्य के स्थाई निवासी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों से ही भरे जाएंगे। राजस्थान राज्य के स्थाई निवासी नहीं होने पर आवेदक को सामान्य वर्ग का माना जावेगा।

5. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर इनके लिए आरक्षित पदों को सामान्य/अन्य पिछड़ वर्ग के अभ्यर्थियों से नहीं भरा जायेगा एवं राज्य सरकार के नियमानुसार अग्रणीत किया जाएगा। राजस्थान के अन्य पिछड़ा वर्ग, उत्कृष्ट खिलाड़ी व भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित पदों हेतु पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर इन पदों को नियमानुसार सामान्य प्रक्रिया से भरा जावेगा।

6. विज्ञापन जारी होने के उपरान्त विज्ञापित पदों की संख्या में विश्वविद्यालय द्वारा कमी या बढ़ोत्तरी की जा सकती है। इसके लिए अलग से कोई सूचना/शुद्धि पत्र जारी नहीं किया जाएगा।

7. उक्त पदों पर चयन उपरान्त प्रारम्भ में प्रोबेशनर ट्रेनी के रूप में दो वर्ष के लिए नियुक्ति की जाएगी। इस अवधि के दौरान राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर नियत पारिश्रमिक (Fixed Remuneration) देय होगा एवं इसके अतिरिक्त अन्य कोई भत्ते यथा मकान किराया भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता, विशेष वेतन आदि देय नहीं होंगे। परिवीक्षा प्रशिक्षण अवधि में अन्य सुविधाएं एवं अवकाश आदि राज्य सरकार/विश्वविद्यालय सेवा नियमों में प्रावधानों के अनुसार देय होंगे। परिवीक्षा अवधि संतोषजनक पूर्ण होने के उपरांत ही पद का वेतन बैण्ड, ग्रेड पे एवं अन्य भत्ते नियमानुसार देय होंगे। तथापि ऐसे अभ्यर्थी जो पूर्व में राजकीय विभागों/स्वायत्तशाषी संस्थाओं/बोर्डो/स्थानीय निकायों/संस्थाओं की नियमित सेवा में कार्यरत हैं, उन्हें राज्य सरकार के पत्र दिनांक 03.01.2012 के अनुसार पूर्व पद पर मिल रहे वेतन संरक्षण का लाभ देय होगा।

8. उक्त पदों हेतु चयन प्रक्रिया में हुई चूक अथवा त्रुटि के ज्ञात होने की स्थिति में, किसी भी स्तर पर, यहाँ तक कि संशोधित, वापस लेने अथवा निरस्त करने का अधिकार विश्वविद्यालय में निहित होगा।

9. उक्त पद पर भर्ती के लिए छँटनी (short listing) हेतु मापदण्ड एवं प्रक्रिया निर्धारण किये जाने का अधिकार विश्वविद्यालय के पास सुरक्षित रहेगा।
10. विश्वविद्यालय में भर्ती/नियुक्त होने वाले कर्मचारियों पर राज्य सरकार के नियमानुसार पेंशन योजना लागु होगी।
11. भर्ती/नियुक्ति प्रक्रिया के दौरान आरक्षण संबंधी नियमों (विशेष पिछड़ा वर्ग सहित) में राज्य सरकार द्वारा संशोधन/परिवर्तन किये जाने पर तत्संबंधी नियम लागू होंगे।

10. समस्त अभ्यर्थियों के लिए सामान्य निर्देश :-

1. आवेदकों को हिदायत दी जाती है कि ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने से पूर्व विश्वविद्यालय के विज्ञापन एवं ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के निर्देशों का अध्ययन कर लें।
2. **ऑनलाइन आवेदन-पत्र निर्धारित तिथि 01.03.2023 से 24.03.2023 रात्रि 12:00 बजे तक ही स्वीकार किए जाएंगे।**
3. आवेदक ऑन लाईन आवेदन करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि वह विज्ञापन में उल्लेखानुसार आवेदन की अंतिम तिथि तक पात्रता की समस्त शर्तें पूरी करता है एवं पद के सम्बन्ध में चाही गई आवश्यक समस्त सूचनाएँ सम्बन्धित कॉलम में सही-सही एवं पूर्ण भरी गई हैं। अभ्यर्थी द्वारा ऑन लाईन आवेदन पत्र में भरी गई सूचना को सही मानते हुए परीक्षा में पूर्णतः अस्थायी प्रवेश दिया जाएगा।
4. प्रार्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में भरी गई सूचनाओं के आधार पर ही आवेदक की पात्रता (आयु, योग्यता, श्रेणी आदि) की जाँच की जाएगी। यदि आवेदक द्वारा भरी गई सूचना सत्यापन के समय असत्य पाई जाती है या वह अन्य किसी कारण से अपात्र पाया जाता है तो उसकी अभ्यर्थना निरस्त कर दी जाएगी जिसकी समस्त जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी। ऑनलाइन आवेदन पत्र में की गई प्रविष्टियों में अन्तिम दिनांक के बाद किसी भी प्रकार के परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जाएगी और न ही इस सम्बन्ध में कोई प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाएगा।
5. जिन आवेदकों के ऑन लाईन आवेदन पत्र अंतिम दिनांक तक पूर्ण सूचना सहित प्राप्त (Submit) होगें, ऐसे आवेदकों को विश्वविद्यालय द्वारा अनन्तिम (Provisional) रूप से परीक्षा में प्रवेश दिया जाएगा। परीक्षा के लिए प्रवेश-पत्र जारी करने का यह अभिप्राय नहीं है कि विश्वविद्यालय द्वारा उसकी उम्मीदवारी अंतिम रूप से सही मान ली गई है अथवा उम्मीदवार द्वारा आवेदन पत्र में की गई प्रविष्टियां विश्वविद्यालय द्वारा सही मान ली गई है। विश्वविद्यालय द्वारा आवेदकों की पात्रता जांच पृथक से की जाएगी। अस्थाई रूप से चयन होने की स्थिति में आवेदक को विस्तृत आवेदन पत्र दो प्रतियों में समस्त आवश्यक दस्तावेजों की स्वयं प्रमाणित फोटोप्रतियों के साथ विश्वविद्यालय में प्रस्तुत करना होगा। विश्वविद्यालय द्वारा उम्मीदवार के मूल प्रलेखों से पात्रता की जांच करते समय यदि अभ्यर्थी की अपात्रता का पता चलता है तो उसकी उम्मीदवारी किसी भी स्तर पर रद्द की जा सकती है जिसकी समस्त जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी।
6. प्रार्थी को परीक्षा में उपयोग के लिए आवश्यक सामग्री जैसे पेन, पेंसिल, प्रवेश-पत्र या विश्वविद्यालय द्वारा निर्देशित सामग्री ही परीक्षा कक्ष में ले जाने की अनुमति है।

7. परीक्षा कक्ष के भीतर मोबाइल फोन, पेजर, ब्लूटूथ या अन्य कोई संचार यंत्र रखने की अनुमति नहीं है। इन अनुदेशो का उल्लंघन किए जाने पर संबंधित आवेदक के विरूद्ध विश्वविद्यालय नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

11. ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया :–

1. अभ्यर्थी विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.shekhauni.ac.in पर भर्ती संबंधी समस्त जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

कुलसचिव